राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः–CE(HQ)/UDH/Direction/Misc./2026 जयपुर, दिनांक :– 27-01-2026

आदेश

प्रायः यह देखने में आ रहा है कि नगरीय विकास विभाग की अधीनस्थ संस्थाओं यथा विकास प्राधिकरणों/ विकास न्यासों/ राजस्थान आवासन मण्डल/ नगर नियोजन विभाग द्वारा अपनी संस्था से संबंधित विभिन्न विषयों एवं मुद्दों के संबंध में भारत सरकार के विभिन्न विभागों से सीधे पत्राचार किया जा रहा है। इस प्रकार के पत्राचार के संबंध में नगरीय विकास विभाग को पूर्व सूचना उपलब्ध नहीं होती है तथा बाद में अन्य विभागों द्वारा आयोजित बैठकों के दौरान उक्त विषयों से विभाग को अवगत कराया जाता है, जिससे उन संदर्भित प्रकरणों/विषयों पर विभागीय टिप्पणी अनुमोदन प्रदान करने में बाधा उत्पन्न होती है।

यह उल्लेखनीय है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 20.07.2024 द्वारा विभागीय कार्य संचालन के संबंध में विस्तृत एवं स्पष्ट निर्देश प्रसारित किए जा चुके हैं तथा विभागीय एस. ओ.पी. के अनुसार ही समस्त मामलों का निस्तारण किया जाना अपेक्षित है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि नगरीय विकास विभाग की समस्त अधीनस्थ संस्थाएँ यथा सभी विकास प्राधिकरण, समस्त विकास न्यास, राजस्थान आवासन मण्डल एवं नगर नियोजन विभाग, अपनी संस्था से संबंधित किसी भी प्रकार के विषय/ मुद्दे के संबंध में भारत सरकार के विभागों से पत्राचार केवल नगरीय विकास विभाग के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी जरूरीकालीन परिस्थितियों में विकास प्राधिकरणों/ विकास न्यासों/ राजस्थान आवासन मण्डल/ नगर नियोजन विभागों द्वारा किसी आवश्यक कार्यो हेतु यदि राज्य सरकार के किसी विभाग से पत्राचार किया जावे तो उसकी प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के संबंधित उपशासन सचिव को ई–डाक से भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। उपर्युक्त निर्देशों की कड़ाई से पालना की जाए।

27.01.2026

(डॉ. देबाशीष पृष्टी)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि :–

1. उप शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नविवि।
2. आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर।
3. आयुक्त, विकास प्राधिकरण ..... (समस्त)
4. सचिव नगर विकास न्यास ..... (समस्त)
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान।

प्रमुख शासन सचिव

कार्यालय – कमरा नं0 8001, उत्तर–पश्चिम भवन, शासन सचिवालय, जयपुर–302005
ई–मेल आई.डी. ACS.UDH@RAJASTHAN.GOV.IN